राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या–1742 व 1743/2013.....जिला.....श्रीगंगानगर.....

उनवान – मैसर्स राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर बनाम् वा.क.अ. वृत्त–ए, श्रीगंगानगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह दोनों अपीलें उपायुक्त, (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक **28.06.2013,** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वा.क.अ., वृत्त–ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित **पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2013** जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनिमय, 1956(जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9(2) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 10(4), 34 व 37 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(7) के तहत् निर्धारण वर्ष क्रमशः 1994–95 के लिये पारित किये गया हैं में कायम मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान ब्याज व शास्ति की मांग राशियां क्रमशः **₹32,253/ व ₹3,12,174/–** पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री शफी मोहम्मद एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.एस.राठौड़ बहस हेतु दिनांक 16.01.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि पारित अपीलीय आदेशों में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीाकर किये जाने संबंधी किसी प्रकार के कारणों को अंकित नहीं किया गया है जिससे उक्त अस्पष्ट आदेश (Non-speaking) की श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी आदेश पारित करने से पूर्व यह निर्णय नहीं ले पाये हैं कि कौन से अधिनियम के तहत् निर्धारण आदेश पारित किये जाने हैं ? जैसाकि निर्धारण आदेश अधिनियम व विक्रय कर अधिनियम के तहत् पारित किये गये है। इस संबंध में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विधिक तथ्य एवम् बिन्दु की अनदेखी कर, रोक आवेदन पत्रों को बिना किन्हीं कारणों को अंकित किये ही अस्वीकार किये गये हैं जो विधिसम्मत एवम् अनुचित हैं। गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी श्री हनीफ चौपादार उक्त फर्म में लगातार.....2	

20.01.2014

भागीदार था जो दिनांक 23.09.1994 से उक्त भागीदार फर्म सें सेवानिवृत्त हुआ एवम् उक्त फर्म विघटित हो गयी । कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों में फर्म द्वारा किये गये संव्यवहार के संबंध में जो मांग राशियां कायम की गयी है व अपीलार्थी श्री हनीफ चौपदार के सेवानिवृत हो जाने के पश्चात् की गयी है । अतः उक्त आधार पर कायम की गयी मांग राशियां विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि उक्त तथ्यात्मक बिन्दुओं की अनदेखी कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये हैं जो अनुचित है।।

अतः उपर्युक्त वर्णित आधारों पर प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवादित कर की मांग राशियां जमा करा दी गयी हैं ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि चूंकि हस्तगत अपील प्रकरणों में अधिनियम व विक्रय कर अधिनियम के तहत् निर्धारण आदेश पारित करने व फर्म के विघटित होने के पश्चात् किये गये संव्यवहार के तहत् कायम की गयी मांग राशियों की देयता विभिन्न भागीदारों के दायित्वधीन होने अथवा नहीं होने का महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तवर्लित है । अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम मांग रूपये **₹32,253/-** व **₹3,12,174/-** की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 2 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है एवम् रोक आदेश की पालना नहीं करने की दशा में उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

20.1.2014

(मदन लाल)
सदस्य